प्रश्न- भूमि सुधार एवम सुधार की आवश्यकता।

उत्तर - आजादी मिलने के बाद से भूमि सुधार कार्यक्रम जिनके अन्तर्गत जमींदारी उन्मूलन, जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी उन्मूलन, लगान का नियमन, सहकारी कृषि, चकबन्दी एवं पट्टे की सुरक्षा जैसे कार्य किए गये, जिनके आधार पर भूमि सुधार की प्रशंसा भी की जाती है। जैसाकि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमि सम्बन्धी रिपोर्ट में उल्लेख है कि, "भारत में भूमि सुधार के हाल के अधिनियम संख्यात्मक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इतने अधिनियम कहीं भी नहीं बनाए गए हैं। अधिनियम लाखों, करोड़ों कृषकों पर प्रभाव डालते हैं और भूमि के विशाल क्षेत्रों को अपने दायरे में सम्मिलित करते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी भूमि सुधार कार्यक्रमों की प्रगति धीमी रही है। प्रो० दान्तवाला का मत है कि, "अब तक भारत में जो भूमि सुधार हुए हैं या निकट भविष्य में होने वाले हैं, वे सभी सही दिशा में हैं, लेकिन क्रियान्वयन के अभाव में इसके परिणाम सन्तोषजनक नहीं रहे हैं। "भूमि सुधार कार्यक्रमों की कुछ सफलता रही तो इसी धीमी गति के रूप में कुछ कमियां भी इंगित होती हैं।

भूमि सुधार कार्यक्रमों का सकारात्मक पक्ष जिसे हम इन कार्यक्रमों का प्रभाव भी कह सकते हैं निम्नवत रहे। अब खेती करने वाले किसान और सरकार में सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया। भूमि की मालगुजारी सीधे सरकार के पास जमा करता है। किसानों को भूमि पर स्थाई अधिकार प्राप्त हो गये परिणाम यह हुआ कि उपज के लिए कार्य किया गया।

Scanned by CamScanner

② जमींदारी प्रथा के अन्त होने से बेगारा व नौकरी जैसी शोषण गतिविधियों से किसानों को मुक्ति मिल गई। किसानों को भूमि का स्वामित्व मिला जिस कारण वह उसमें स्थाई सुधार लागू कर अधिक परिश्रम करने लगे, फलस्वरूप कृषि उपज में वृद्धि हुई।

भूमि सुधार कार्यक्रम बहुत ही तत्परता से लागू हुए परन्तु अवलोकन करने पर इनमें कमियाँ इंगीत होती हैं - भूमि सुधार कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका। प्रो० गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामों में लिखा है कि "भूमि सुधार कानून जिस ढंग से क्रियान्वित किए गए हैं उनसे सामान्यत: उन कानूनों की भावनाओं और अभिप्राय को हताश होना पड़ा है। "लोगों (जमीदारों) द्वारा काश्तकारों को बेदखल कर स्वकाश्त के लिए भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया। उच्चतम जोत की सीमा से बचाव हेतु जोतों का अधिनियम एवं अवैधानिक हस्तान्तरण हुआ जमीदार, राजनेता एवं प्रशासनिक अधिकारी का गलजोड़ बना जो पूर्व में ही तथाकथित रूप में एक ही थे, इन्होंने कानून की अवहेलना के साथ ही साथ भूमि सम्बन्धी रिकार्डों में भी परिवर्तन किया।

भूमि सुधार कार्यक्रम के प्रभावी सफलता हेतु निम्न कार्य आवश्यक है - भूमि सम्बन्धी रिकार्डों का पूर्णतया नवीन करण किया जाये साथ ही सरल सुलभता हेतु पूर्णत: कम्प्यूटीकरण किया जाए। एक अच्छी प्रशासनिक तंत्र का निर्माण किया जाए। भूमि सुधार कार्यक्रमों में सन्दर्भित स्पेशल अदालत स्थापित की जाए जहाँ गरीबी लोगों को निःशुल्क न्याय प्रदान किया जाए।

Scanned by CamScanner

(3) इस इकाई के अध्ययन से आप समक्ष हो सकेंगे कि प्राचीन काल में भूमि पर अधिकार ग्राम समुदाय का था। वह परिवर्तित होता रहा और ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भूमि-राजस्व प्रणाली को दृढ़ आधार पर रखने के लिए सन् 1793 में गाइडलाइन्स वितरित किए गए - 1) रैयतवाड़ी, 2) महालवारी और 3) जमींदारी के रूप में तीन वर्गों में विभक्त किया जो व्यवस्था स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय तक लागू रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 'जोतने वाले को भूमि" के नारे को वास्तविकता में बदलने के लिए भूमि-सुधार किए गए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लिए कानून बनाया गया।

भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता निम्न कारणों से महसूस की गई थी - स्वतंत्रता के समय देश में कृषि पदार्थों की भारी कमी थी। अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम आवश्यक है।

भूमि सुधार कार्यक्रमों की प्रभावी सफलता के लिए किसानों को भूमि में स्थाई विकास हेतु साख एवं वित्त की सरलता के लिए किसानों को भूमि में स्थाई विकास हेतु साख एवं वित्त की सरलता से उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खेतिहर मजदूर व बटाई वालों की भी भूमि सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल किया जाना चाहिए। भूमि सुधार कार्यक्रमों का समयाबद्ध रूप में क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। भूमि सुधार कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार के साथ इसकी प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाना चाहिए।

Scanned by CamScanner